



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 816) पटना शुक्रवार 17 जुलाई 2026

सं० 14/विविध-03-19/2026/2704—न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

16 जुलाई 2026

विषय:— उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति, बिहार, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल का उत्पादन होता है, जिसका पर्याप्त उपचार (Treatment) एवं पुनः उपयोग (Reuse) वर्तमान में नहीं हो रहा है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार लगभग 2,276 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल उत्पन्न हो रहा है। उपचारित जल का अधिकांश भाग बिना उपयोग के जल स्रोतों में प्रवाहित होकर नष्टप्राय हो जाता है। दूसरी ओर अनवरत भूजल दोहन से भूमिगत जल का स्तर भी चिंताजनक रूप से गिर रहा है। अतः राज्य में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग हेतु एक समग्र नीति की आवश्यकता है जिससे जल संसाधनों का संरक्षण एवं पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2. इस नीति के मुख्य उद्देश्य गैर-पेय उपयोगों हेतु ताजे जल पर निर्भरता को कम करना, पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना, औद्योगिक, कृषि एवं नगरीय उपयोग हेतु वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराना, जल प्रबंधन में परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व सृजन के अवसर बढ़ाना एवं सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना है। उक्त नीति के लागू होने पर अपेक्षित लाभ निम्नवत है—

पर्यावरणीय लाभ

- नदियों एवं भूजल स्रोतों से ताजे जल के दोहन में कमी।
- जल निकायों में प्रदूषण भार में कमी
- तालाबों, आर्द्रभूमियों एवं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का पुनरोद्धार।

आर्थिक लाभ

- उद्योगों एवं नगर निकायों के लिए कच्चे जल की लागत में कमी।
- ULBs एवं संबंधित प्राधिकरणों के लिए TUW बिक्री से अतिरिक्त राजस्व।
- जल संचालन और वितरण से जुड़े "ग्रीन रोजगार" के अवसर।

सामाजिक लाभ

- प्रदूषण में कमी से जन स्वास्थ्य में सुधार।
- जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षित गैर पीने योग्य जल की उपलब्धता।
- नागरिकों की सतत जल प्रबंधन में बढ़ी हुई भागीदारी।

3. नीति के अंतर्गत उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग औद्योगिक उपयोग (कूलिंग एवं प्रोसेसिंग), निर्माण कार्य, नगर सेवाएँ (पार्क, सड़क सफाई, अग्निशमन), परिधीय कृषि, जलाशयों हेतु पर्यावरणीय प्रवाह क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास अनिवार्य उठाव क्षेत्र अधिसूचित किए जाएंगे, चिन्हित उपभोक्ताओं द्वारा 12 माह के अन्दर गैर-पेय उपयोग हेतु उपचारित जल का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा एवं गुणवत्ता मानकों, मूल्य निर्धारण एवं निगरानी के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाएंगे।

4. इस नीति के कार्यान्वयन में प्रारंभिक चरण में अवसंरचना सुदृढीकरण, वितरण प्रणाली एवं निगरानी तंत्र हेतु व्यय संभावित है। हालांकि, दीर्घकाल में यह नीति शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व सृजन का माध्यम बनेगी। इसके कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा।

5. अतः उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति, बिहार, 2026 (अनुलग्नक-"क") की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक-15.07.2026 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 816-571+200-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>